

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 99/2023 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

अमराराम बनाम राजस्थान राज्य वगैराह

| दिनांक | आदेशिका | हस्ताक्षर / सूचना |
|--------|---|-------------------|
| | <p>अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अमराराम पिता धूलाराम भील निवासी मजेरा तहसील कुम्भलगढ के ग्राम खेडलिया पटवार हल्का बडगांव तहसील कुम्भलगढ में स्थित खातेदारी भूमि आराजी नंबर 3808/3611 रकबा 0.3672 हैक्टेयर किस्म हकत-3 भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम खेडलिया की बिलानाम भूमि से रास्ता दिलाया जावे नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु ग्राम खेडलिया की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 3625/2675 रकबा 0.9180 हैक्टेयर किस्म मगरी में से रकबा 0.0825 हैक्टेयर भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंसा की है। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित बिलानाम भूमि की डी.एल.सी.दर 161065/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 13288/-की दुगुनी कीमत 26576/-रूपये संबंधित मद में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 30 फीट है। जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |



उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द (राज.)